राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकःप. 6(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2013 **जयपुर, दिनांकः** 30.9.2016

:: संशोधन आदेश ::

महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश से सचिवालय नियमावली के अध्याय 12 अनुच्छेद 267 में सम्मिलित प्रावधान "मंत्रियों और उप मंत्रियों के निजी कार्यालयों के अभिलेखों का निपटारा करने के लिए सभी मंत्रियों और उप मंत्रियों के निजी सचिवों और निजी सहायकों को निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिये" में **"मुख्यमंत्री, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों"** प्रतिस्थापित करते हुये, **अनुच्छेद 267** को एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

अनुच्छेद 267. मुख्यमंत्री, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के निजी कार्यालयों के अभिलेखों का निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियो/उप मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों के विशिष्ट सहायक/निजी सचिवों और निजी सहायकों को निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहियेः–

(1) मंत्रिमण्डल की कार्यसूची व विवरण इनको वर्ग एक की पत्रावलियों की तरह (एक वर्ष पश्चात्) नष्ट करने के लिए छांट कर रखा जाना चाहिये।

(2) विभागों/अनुभागों की पत्रावलियांः– ज्योंही मंत्री/संसदीय सचिव इनका निपटारा कर दें या उसे इनकी आवश्यकता नहीं रहे, इनको संबंधित अनुभाग में लौटा देना चाहिये।

(3) उस व्यक्तिगत पत्र व्यवहार, की पत्रावलियां जो विभाग के सरकारी अभिलेख का भाग नहीं हैंः– इन्हें वर्ग एक की पत्रावलियों की तरह (जब तक कि मंत्री/संसदीय सचिव किसी को अधिक लम्बे समय तक रखने की इच्छा प्रकट न करें) या तो प्रति वर्ष या मंत्री/संसदीय सचिव द्वारा कार्यभार छोड़ते समय नष्ट कर दिया जाना चाहिये।

(4) गजट की और परिपत्रों की पत्रावलियांः– इन्हें वर्ग एक की पत्रावलियों की तरह नष्ट करना चाहिये।

(5) उपस्थिति और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पंजिकाओं को पांच वर्ष की अवधि तक रखा जाना चाहिये।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव / निजी सहायक, माननीय समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / उपमंत्रीगण / संसदीय सचिवगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव / निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिवगण।
5. समस्त संयुक्त सचिव / शासन उप सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त विभाग / अनुभाग / प्रकोष्ठ शासन सचिवालय, जयपुर।
7. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रशासनिक सुधार विभाग की वैवसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव